राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :प.17(4)शिक्षा-2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक : 17/11/2016

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा के पदों पर डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा के पदों पर डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों के पदस्थापन किये जाने हेतु इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.03.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. पदस्थापन हेतु पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक-सम्बन्धित विषय की संख्या से अधिकतम 150 प्रतिशत (राउण्ड अप) तक रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी।

2. पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/ तृतीय भाषा के Counselling द्वारा पदस्थापन हेतु जिलेवार रिक्तियों का संख्यात्मक आवंटन :-
   (i) संभाग के प्रत्येक जिले में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा के रिक्त पदों की संख्या, उस जिले में पदोन्नत संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या से अधिक होने पर प्रत्येक जिले में उस विषय के रिक्त पदों का आवंटन बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप किया जाएगा।
   (ii) संभाग के किसी भी जिले में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा के कुल रिक्त पदों की संख्या, उस जिले में पदोन्नत संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या से कम होने पर उस जिले के समस्त रिक्त पदों की संख्या के अनुसार आवंटन के पश्चात शेष रिक्तियां (बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप प्रदर्शित की जाने वाली रिक्तियों में से उस जिले के रिक्त पदों की संख्या घटाने पर) संभाग के अन्य जिलों में आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। संभाग के अन्य जिलो हेतु बिन्दु संख्या 2(i) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः-पृ.सं.-2

17.11.16

www.rajteachers.com

3. पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/ तृतीय भाषा के Counselling द्वारा पदस्थापन हेतु प्रदर्शित किये जाने हेतु जिलेवार कुल रिक्त पदों के चयन हेतु प्राथमिकता (जो कि बिन्दु संख्या–2 के अनुसार जिले को आवंटित संख्या के 150 प्रतिशत (राउण्ड अप) से अधिक नहीं होगी) :–

a) वरिष्ठ अध्यापक–सम्बन्धित विषय के रिक्त पदों वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 10 के कुल नामांकन के घटते हुए क्रम में)

b) प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय (वरिष्ठ अध्यापक–सम्बन्धित विषय) के रिक्त पदों वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय (100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय) (नामांकन के घटते हुए क्रम में)

नोटः–

1. **यदि a एवं b के निर्देशों के अनुरूप कुल रिक्तियों की संख्या पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक–संबंधित विषय की संख्या के 150 प्रतिशत से अधिक होती है तो उक्त निर्देशों के अनुरूप 150 प्रतिशत तक ही रिक्तियां प्रदर्शित की जाएगी।**
2. **यदि a एवं b के निर्देशों के अनुरूप कुल रिक्तियों की संख्या पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक–संबंधित विषय की संख्या के 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत के मध्य होती है तो a एवं b के अनुसार समस्त रिक्तियां प्रदर्शित की जाएगी।**
3. **यदि a एवं b के निर्देशों के अनुरूप कुल रिक्तियों की संख्या पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक–संबंधित विषय की संख्या से कम होती है तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 छात्रों के नामांकन की बाध्यता में शिथिलन दिया जा कर पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक–संबंधित विषय की संख्या तक ही रिक्तियां प्रदर्शित की जाएगी।**

4. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जावेगी।

5. पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक–सम्बन्धित विषय के पदस्थापन हेतु वरियता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जावेगा :–

i. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग तथा असाध्य रोग (कैन्सर एवं ब्रेन टयूमर) से पीड़ित अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)

ii. विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)

iii. महिला अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)

iv. शेष अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)

6. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 के अनुसार तैयार की गई रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या 5 के अनुसार तैयार की गई वरियता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किया जाकर वरीयता सूची में निर्धारित वरीयता क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श कैंप) आयोजित किया जावेगा।

क्रमश–पृ.सं.–3

17.11.16

www.rajteachers.com

7. पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक द्वारा Counselling Camp (परामर्श कैंप) में चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।

8. जो पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थित रहेगें, उन्हें Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।

9. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही details where about) की सही जाँच कर आदेश जारी किये जावे, त्रुटियाँ नहीं हो। संस्थागत त्रुटियाँ होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय जाँच सुनिश्चित की जावेंगी।

10. Counselling Camp (परामर्श कैंप) का विस्तृत कार्यक्रम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा।

11. उक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे। दिशा–निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

भवदीय

17.11.16

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग.. को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि समस्त संभागों में पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान/सामान्य/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा के पदस्थापन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

17.11.16
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :प.17(4)शिक्षा–2/2009 पार्ट **जयपुर, दिनांक :** 17/11/2016

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषयों) के पदों पर डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन हेतु Counselling Camp (परामर्श कैंप) का कार्यक्रम निर्धारित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषयों) के पदों पर पदोन्नति की जा चुकी है। उक्त पदोन्नति से चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउन्सलिंग द्वारा किया जाना हैं।

पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषयों) की प्रत्येक संभाग स्तर पर अलग–अलग विषयों में संख्या में भिन्नता होने के कारण Counselling Camp (परामर्श कैंप) का कार्यक्रम संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा निम्न तिथियों में स्वयं निर्धारित किया जावेगा। समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा उक्त पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन Counselling Camp (परामर्श कैंप) द्वारा निम्नानुसार कराया जाना सुनिश्चित करावें :–

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण
1.	19.11.2016	पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषयों) की वरियता सूची, Counselling से पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूची एवं Counselling Camp (परामर्श कैंप) के कार्यक्रम का प्रकाशन (विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड)
2.	21.11.2016 से 25.11.2016 तक	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषयों) के पदस्थापन हेतु Counselling Camp (परामर्श कैंप)

किसी भी स्थिति में समस्त विषयों का Counselling Camp (परामर्श कैंप) दिनांक 25.11.2016 तक पूर्ण कर लिया जाए। समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा Counselling Camp (परामर्श कैंप) कार्यक्रम विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,
16.11.16
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

16.11.16
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com